

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.: 51/8/7/2015-ईएमएस

दिनांक: 02 फरवरी, 2015

सेवा में,

सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय: ई वी एम के प्रयोग पर आयोग के दिनांक 19 जनवरी, 2012 के अनुदेश -पुनरावृत्ति।

महोदय,

ई वी एम के प्रयोग पर मुझे आयोग के दिनांक 19 जनवरी, 2012 के अनुदेशों को दोहराने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण के दौरान निम्नलिखित पर बल देने तथा यह सुनिश्चित करने के निदेश दिए हैं कि मतदान के दौरान उनका कड़ाई से अनुपालन किया जाए :-

- 1) कंट्रोल यूनिट के प्रभारी मतदान अधिकारी को बैलेट यूनिट को क्रियाशील करते समय मतदाताओं को निदेश देने चाहिए कि यदि वे ई वी एम में लैंप, बीप साउंड इत्यादि संबंधी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि पाते हैं, तो उन्हें इसे तुरंत पीठासीन अधिकारी के नोटिस में लाना चाहिए। पीठासीन अधिकारी को इस प्रकार की किसी भी शिकायत के प्राप्त होने पर मतदान अभिकर्ता तथा शिकायतकर्ता की उपस्थिति में उक्त शिकायत की प्रामाणिकता की जांच और सत्यापन करना चाहिए। यदि पीठासीन अधिकारी को शिकायत में कोई यथार्थता दिखाई देती है तो उसे सेक्टर अधिकारी को सूचित करना चाहिए और पीठासीन अधिकारी जितनी जल्दी संभव हो सके त्रुटिपूर्ण ई वी एम को बदलने की व्यवस्था करेंगे।
- 2) वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले, प्रातः ही "छद्म मतदान" ("मॉक पॉल") का आयोजन करते समय पीठासीन अधिकारी को उपर्युक्त अनुदेशों को मतदान अभिकर्ताओं के ध्यान में लाना चाहिए। मतदान केन्द्र में "छद्म मतदान" ("मॉक पॉल") के समय, यदि कोई

मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं है तो जैसे ही मतदान अभिकर्ता मतदान केन्द्र में रिपोर्ट करते हैं तो इसे उनके ध्यान में लाया जाना चाहिए।

- 3) इसके अतिरिक्त आयोग ने निदेश दिए हैं कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान वाले दिन तथा मतदान वाले दिन से एक दिन पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करेंगे जिसमें नियन्त्रण कक्षाओं तथा हेल्पलाइन की दूरभाष संख्याएं; सेक्टर मजिस्ट्रेटों, रिटर्निंग अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों इत्यादि की दूरभाष संख्याएं होंगी, जिन पर मतदाता शिकायत, यदि कोई हो, दर्ज कर सकते हैं।

अपको यह भी निदेश दिए जाते हैं कि उपर्युक्त अनुसार पोस्टर मुद्रित करवाएं तथा साथ ही मतदान वाले दिन से एक दिन पहले सभी मतदान बूथों पर उनको उचित स्थान पर लगाने/चिपकाने की व्यवस्था की जाए।

- 4) आपका ध्यान आयोग के दिनांक 19.01.2012 के "ई वी एम के प्रयोग पर व्यापक अनुदेश" की ओर भी आकर्षित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसमें निहित अनुदेशों का निष्ठापूर्वक अनुसरण करने हेतु प्रशिक्षण के दौरान सभी मतदान कार्मिकों को आवश्यक निदेश जारी किए जा सकें।

भवदीय,

(के.एन.भार)

सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 51/8/7/2015-EMS

Dated: 2nd February, 2015

To,

The Chief Electoral Officers of
All States and Union Territories.

Subject: The Commission's instruction dated 19th January, 2012 on the use of EVM- reiteration.

Sir,

I am directed to reiterate the Commission's instruction dated 19th January, 2012 on the use of EVM and to state that the Commission has directed that the following shall be emphasized during training to the polling personnel and ensure that they strictly follow it during poll:-

- 1) Polling Officer in charge of Control Unit, while activating the Ballot Unit, should instruct the voters that if they notice that the EVM is malfunctioning in any manner, related to lamp, beep sound etc., he should bring it to the notice of the Presiding Officer. On receiving any such complaint, Presiding Officer should check & verify the genuineness of the said complaint in the presence of the polling agent and the complainant. If Presiding Officer finds any substance in the complaint, he should inform Sector Officer and the Presiding Officer will arrange to get the malfunctioning EVM replaced as quickly as possible.
- 2) Presiding Officer should bring the above instructions to the notice of the Polling Agents at the time of conducting 'Mock-Poll' in the morning before start of actual poll. In case, no polling agent is present at the time of 'Mock-Poll' at the Polling Station, it should be brought to the notice of the polling agent(s), as and when, they report at the polling station.
- 3) The Commission has further directed that the CEO/DEOs shall arrange to issue advertisement in the newspaper of NCT of Delhi on the poll day and the day previous to poll day, giving the telephone numbers of Control Rooms and Helpline, telephone numbers of Sector Magistrates, Returning Officers, DEOs etc. on which the voter can report the complaint, if any.

You are also directed to get the posters printed on the above lines and ensure their placement/pasting on all the polling booths, a day before the poll day.

- 4) Your attention is also invited to the Commission's "Comprehensive instruction on the use of EVM" dated 19.01.2012, to ensure that necessary directions should be issued to all polling officials during training for scrupulously following the instructions contained therein.

Yours faithfully

(K.N. Bhar)
Secretary